INVEST UP

POWERING NEW INDIA

Address :

4th Floor Block A PICUP Bhawan,
Lucknow, Uttar Pradesh 226010
Phone No.: +91-522-2720236, 2720238
Email: info[at]investup[dot]org[dot]in
Website - https://invest.up.gov.in/

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT

10-12 FEBRUARY, 2023

New India's Growth Engine

यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022

प्रमुख बिन्दु

1. **भूमि लागत सब्सिडी:** शासकीय विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि क्रय करने पर (गौतमबुद्धनगर जिले को छोड़कर) भूमि की लागत के 25% की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। गौतमबुद्ध नगर जनपद में यह भूमि लागत सब्सिडी, भूमि लागत का 15% होगी।

2. **स्टाम्प शुल्क में छूट:** राज्य या केन्द्र सरकार या उनके उपक्रमों से खरीदी या लीज पर ली गई भूमि, शेड या औद्योगिक भवन, स्टाम्प शुल्क से छूट के पात्र होंगे। जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थापित होने वाली इकाइयों को स्टाम्प शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट एवं प्रदेश के शेष जिलों में स्थापित होने वाली इकाइयों को स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

3. पूंजीगत सब्सिडीः न्यूनतम 50 व्यक्तियों को रोजगार सृजित करने वाली इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी की खरीद पर 25% पूंजीगत सब्सिडी तथा राज्य के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी की खरीद पर अतिरिक्त 10% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

4. **इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी:**

- स्व-उपयोग की अवस्थापना सुविधाओं जैसे (i) सड़क, (ii) जल निकासी और जल आपूर्ति, (iii) बिजली की आपूर्ति पर विकास हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 3 करोड़ रुपए की सीमा तक।
- उत्प्रवाह उपचार संयंत्र (ईटीपी) और डीजी सेट स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 5 करोड़ की सीमा तक।
- इन-हाउस प्रशिक्षण सुविधा, परीक्षण प्रयोगशाला, गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशाला (क्यू. सी. लैब्स), अनुसंधान एवं विकास केंद्र विकसित करने के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए तक।
- स्टाफ क्वार्टर, वर्कर्स हॉस्टल या डारमेट्री विकसित करने के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रु. 5 करोड़ की सीमा तक।

5. **ऊर्जा से संबंधित प्रोत्साहन:**

- नई टेक्सटाइल और गारमेंटिंग इकाइयों को 10 वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 100 प्रतिशत की छूट।
- विद्युत अधिनियम के अनुसार, एक सीमा से अधिक खपत करने वाले डेवलपर्स या इकाइयों को बिजली की ओपेन एक्सेस की अनुमति।
- पीएम मित्र पार्क की इकाइयां, जो 50 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती हैं, को 5 वर्ष के लिए 2 रुपए प्रति यूनिट की बिजली टैरिफ सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस बिजली टैरिफ की ऊपरी सीमा रु. 60 लाख प्रति वर्ष प्रति यूनिट है।

6. **रोजगार सृजन सब्सिडी:** मेगा और सुपर मेगा गारमेंटिंग इकाइयों को 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह 3,200 रुपए की सब्सिडी (जनपद गौतमबुद्ध नगर और जनपद गाजियाबाद को छोड़कर) प्रदान की जाएगी।

7. **माल ढुलाई प्रतिपूर्ति:** वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए यूनिट से बंदरगाह तक कंटेनर की माल ढुलाई लागत की प्रतिपूर्ति 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार की जाएगी:-

- 2 वर्ष के लिए 75% प्रतिपूर्ति
- अगले 2 वर्षों के लिए 50% प्रतिपूर्ति
- पांचवें वर्ष में 25% प्रतिपूर्ति

8. **निजी टेक्सटाइल पार्क के लिए प्रोत्साहन:** उत्तर प्रदेश सरकार न्यूनतम 25 एकड़ क्षेत्र में प्लग एंड प्ले सुविधा और सीईटीपी के साथ विकसित होने वाले एकीकृत टेक्सटाइल और परिधान पार्क के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। परियोजना लागत के 50% (भूमि की लागत को छोड़कर) की वित्तीय सहायता अधिकतम रु. 50 करोड़ प्रति पार्क तक प्रदान की जाएगी।

9. **रेशम उद्योग को प्रोत्साहन:**

- रु. 1 करोड़ तक के निवेश पर चाकी कीड़ा पालने, कोया उत्पादन, रेशम उत्पादन में रीलिंग और कताई के लिए 15% पूंजीगत सब्सिडी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के प्रकरण में यह सब्सिडी 20% देय होगी।
- रु. 1 करोड़ से अधिक के निवेश वाली रेशम रीलिंग इकाइयों को 20% पूंजीगत सब्सिडी।
- राज्य में उत्पादित कोया से 75% धागों का उत्पादन करने वाली रेशम रीलिंग इकाइयों को 5 वर्ष के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण पर 5% की दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस सब्सिडी की ऊपरी सीमा रु. 50,000 प्रति वर्ष तक होगी।

10. **विपणन में नवीन रोजगार प्रारंभ करने हेतु युवाओं को प्रोत्साहन:**

युवाओं (उत्तर प्रदेश के निवासी पुरुष/महिला) को हथकरघा एवं वस्त्र उत्पादों के उत्पादन, डिजाइन, विपणन एवं निर्यात से संबंधित स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित किया जायेगा। यह विशेष सुविधा उन युवाओं (पुरुष/महिला) के लिए उपलब्ध होगी जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं है।

11. **उत्पादन में नवीन रोजगार प्रारंभ करने हेतु:**

- एक शेड में 05-20 हैंडलूम या 05-10 पावर-लूम स्थापित करने के लिए 75% पूंजीगत सब्सिडी, हथकरघा के लिए अधिकतम रु. 20 लाख और पावर-लूम के लिए रु. 60 लाख।
- 5 वर्ष के लिए राज्य एजेंसियों द्वारा आवंटित फ्लैटेड कारखानों के किराए पर 50% की सब्सिडी और संयंत्र एवं मशीनरी पर 75% पूंजीगत सब्सिडी, अधिकतम रु. 25 लाख प्रति इकाई।

12. **डिजाइन में नया रोजगार प्रारंभ करने हेतु:-** डिज़ाइन स्टूडियो स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 75%, अधिकतम रु. 30 लाख प्रति उद्यमी।

13. **नवीन एक्सपोर्ट हाउस प्रारम्भ करने हेतु:-** नया एक्सपोर्ट हाउस खोलने के लिए पंजीकरण शुल्क और बुनियादी ढांचे की लागत का 75%, अधिकतम रु. 20 लाख प्रति कंपनी।

14. **मार्केटिंग में नया रोजगार प्रारंभ करने हेतु:-** विपणन कंपनी स्थापित करने के लिए पंजीकरण शुल्क और बुनियादी ढांचे की लागत का 75%, अधिकतम रु. 50 लाख प्रति कंपनी। बुनकरों के बच्चों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मार्केटिंग के माध्यम से अपना ब्रांड बनाने और इसके चेन आउटलेट खोलने पर निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाएंगे:-

- 50 आउटलेट खोलने और रु. 4 करोड़ की न्यूनतम वार्षिक बिक्री पर रु. 2 करोड़
- 100 आउटलेट खोलने और रु. 8 करोड़ की न्यूनतम वार्षिक बिक्री होने पर रु. 4 करोड़
- 200 आउटलेट खोलने और रु. 16 करोड़ की न्यूनतम वार्षिक बिक्री पर रु. 8 करोड़
- 500 आउटलेट खोलने और रु. 20 करोड़ की न्यूनतम वार्षिक बिक्री होने पर रु. 10 करोड़
- शर्तें: सभी आउटलेट्स से 3 साल की अवधि के लिए बिक्री की गई हो और निर्धारित आउटलेट्स में से 80% यूपी के बाहर खोले गए हों। देश के बाहर 25 अथवा अधिक आउटलेट खोलने पर रु. 2 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी

नोडल एजेंसी: टेक्सटाइल निदेशालय, टेक्सटाइल विभाग